

नियम 23 (4) ताल उपकरण म्हावेता कड
होच हेतु उपकरण क्षमता के दसवें भाग के
द्वाराच मुद्रांकित बाट रखना अनिवार्य है।

अनुसूची-आठ
[नियम 18 (3) देखिये]
उत्तर प्रदेश सरकार

उपरो विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन)
नियमावली-2011 के अन्तर्गत सत्यापन
प्रमाण पत्र को किसी सहज दृश्य स्थान पर
प्रदर्शित करना अनिवार्य है।" (नियम 24)

508267

विधिक माप विज्ञान, नियन्त्रक का कार्यालय

सत्यापन प्रमाण-पत्र

विधिक माप विज्ञान अधिकारी का नाम

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने आज दिनांक 07/12/24 को 0 PARK INN Radisson (Usha Rani Developerse
Pt. Lmtd Civil Lines Ayodhya के निजी से सम्बन्धित नीचे उल्लिखित बाटों, मापों आदि को सत्यापित और स्टाम्पित/अस्वीकार कर दिया है।

परिमाण	अंकित मान		ताल के उपकरण				माप के उपकरण	सत्यापन फीस रुपये..... पैसे	वहन, प्रवहन, समायोजन प्रभार आदि
	बाट	माप	क्षमता	वर्ग	विनिर्माता	किस्म			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 - EWM = 300 kg Class = III me'n = 1 kg e = 50g E-Kanta SNO = 002309015						1050.00	200.00
		2 - EWM = 100 kg Class = III me'n = 200g e = 10g DOLPHIN SNO = 210603196							
		3 - EWM = 30 kg Class = II me'n = 100g e = 2g Kanto SNO = 602309015						1250.00	
						T.W. = 20 kg 10 kg 1 kg			

राप्रमर के द्वारा मरम्मत की गई/प्रस्तुत किया गया।
(हस्ताक्षर)

कोषागार रसीद की संख्या WMP 240050211 दिनांक 07/12/24 के
माध्यम से कुल रूपया 3870.00 जमा किया गया।

अगले सत्यापन का दिनांक

07/12/2025 अथवा पूर्व

विधिक माप विज्ञान अधिकारी

टिप्पणी :- अस्वीकृत बाटों, मापों आदि के सम्बन्ध में विधिक माप विज्ञान अधिकारी प्रत्येक मद के विरुद्ध अस्वीकार किये जाने का कारण उल्लेख करते हुए अलग से अस्वीकृति का प्रमाणपत्र देगा।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 2 विधिक माप विज्ञान-27-1-2024-(2946)-5,000 पुस्तकें (प्रत्येक 100 पन्ने) (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)

विधिक माप विज्ञान (बाट तथा माप)
18, बाटों मार्ग, अयोध्या